UPCH010032332024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट ।

उपस्थित— शेष मणि ....एच0जे0एस0

व्यवहार अपील नं0— 32/2024

1. दस्सू पुत्र शारदा उम्र लगभग 80 वर्ष (मृतक)
   (श्रीमती रामरती पत्नी दस्सू)
2. जीवनदास पुत्र दस्सू उम्र लगभग 53 वर्ष
3. माखनलाल पुत्र दस्सू उम्र लगभग 35 वर्ष निवासीगण बरगढ़ तहसील मऊ जिला चित्रकूट।

......अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

संतोष कुमार पुत्र रघुनाथ उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी बरगढ़ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट। **.....प्रत्यर्थी/वादी**

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत व्यवहार अपील अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, चित्रकूट द्वारा मूलवाद संख्या— 24/2014 संतोष कुमार बनाम दस्सू आदि में पारित निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को सव्यय आज्ञप्ति करते हुए आराजी नं0—1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.064 हे0 स्थित मौजा बरगढ़ तहसील मऊ जिला चित्रकूट के संबंध में शाश्वत व्यादेश का उपचार एवं आराजी नं0—1182 रकवा 0.193 हे0 के जुज भाग 0.058 हे0 के संबंध में आज्ञापक व्यादेश का आदेश निर्गत किया गया है।

<u>तथ्यात्मक विवरण</u>

2. प्रस्तुत अपील को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि वादी (यहॉ प्रत्यर्थी) द्वारा मूलवाद सं0— 24/2014 संतोष कुमार बनाम दस्सू आदि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस कथन के साथ संस्थित किया गया कि आराजी खसरा नं0— 1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.064 हे0 स्थित मौजा बरगढ़ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट का वादी जरिये बैनामा मालिक काबिज दखील है। वादी ने उक्त विवादित भूमि को करामत खॉ व हसमत खॉ से क्रय किया ओर मौके पर काबिज दखील हो गया। विवादित भूमि बाद चकबन्दी

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.21 17:05:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आकारपत्र 45 खाता सं0— 859 में वादी के नाम दर्ज कागजात है तथा वादी विवादित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर मौके पर काबिज दखील है। विवादित भूमि नं0— 1182क रकवा 0.129 हे0 में वादी की बाउण्ड्री बनी हुई है तथा 1182ख रकवा 0.084 हे0 बाउण्ड्री वाल से बाहर लगी हुई भूमि है जो सड़क से लगी हुई वेश कीमती आबादी भूमि है। विवादित भूमि के पश्चिम प्रतिवादीगण की भूमि नं0— 1181 स्थित है जिनपर उनका मकान बना हुआ है तथा आबाद हैं। इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण प्रतिवादीगण के मकान का कुछ भाग गिर गया और उन्हें मवेशी बॉधने व अन्य निस्तारण करने में असुविधा होने लगी जिसपर प्रतिवादीगण के आग्रह पर वादी ने बरसात के महीने में जानवरों को बॉधने व निस्तार करने के लिए दे दिया और शर्त यह थी कि बरसात समाप्त होने पर विवादित भूमि को खाली कर कब्जा सौंप देगें परन्तु प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि क,ख,ग,घ, च,छ,ज,झ, बमुकाम ट,ठ,ड,ढ, पर ढोका, घासफूस का छपरा तैयार किया एवं य,र,ल,व तथा त,थ,द,ध, स्थान पर चारा भूसा रखने के लिए टीनशेड बनाकर निस्तारण करने लगे। आराजी नं0— 1182 रकवा 0.193 हे0 के जुज भाग रकवा 0.058 हे0 पर अवैध कब्जा प्रतिवादीगण किये हुए हैं जो वादी की भूमि है। बरसात समाप्त होने के बाद वादी ने माह नवम्बर 2013 में प्रतिवादीगण को विवादित भूमि खाली करने की बात कही जिसपर प्रतिवादीगण ने कुछ समय की मॉग की और अविलम्ब विवादित भूमि खाली करने की बात वादी से कही। अन्दर ही अन्दर प्रतिवादीगण के मन में विवादित भूमि हड़पने का फितूर पैदा हो गया और दिनॉक 30.01.2014 को विवादित भूमि के बमुकाम अ,ब,स,द, में नीव खोदना शुरू कर दिया। वादी के मना करने व समझाने बुझाने पर मानने को तैयार नहीं हुए और पत्थर की नींव भर लिया जिसके संबंध में वादी ने उप जिलाधिकारी मऊ को निर्माण रोकवाने हेतु प्रार्थनापत्र दया जिसपर जॉच कर निर्माण रोकवाने का आदेश पारित हुआ। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई मतलब नहीं है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रस्तुत वाद के माध्यम से वादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में शाश्वत व्यादेश व उसपर स्थित झोपड़ी आदि के संबंध में निर्माण भंजन व कब्जा दखल के उपचार की याचना किया है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र कागज संख्या— 26क प्रस्तुत किया गया जिसमें वादपत्र के प्रस्तर 2 के कथन एवं वादपत्र के प्रस्तर 3 के कथन में वादी की बाउण्ड्री 1182 में होना स्वीकार किया है एवं शेष कथनों को अस्वीकार किया है। अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी नं0— 1182 के किसी भी अंश रकवे में किसी तरह का निर्माण व कब्जा आदि नहीं किया गया है।

प्रतिवादीगण आराजी नं0– 1181 के भूमिधर मालिक स्वामी काबिज दखील हैं और अर्सा दराज से प्रतिवादीगण के मकान बने हुए हैं। वादी जबरदस्ती अपनी आराजी सं0– 1182 के लिए सेहन व रास्ता चाहता है जिससे वह सड़क पक्की में अपना निस्तार, निकास कर सके। वादी द्वारा बनाये गये नक्शा नजरी में अंकित अक्षर ट,ठ,ड,ढ, तथा य,र,ल,व तथा त,थ,द,ध तथा अ,ब,स,द, में पूर्व से ही प्रतिवादीगण की झोपड़ी बनी हुई है। उक्त अक्षरों से अंकित समस्त भू–भाग आराजी नं0– 1181 का अंश है, न कि 1182 का। वादी को कभी कोई वाद का कारण पैदा नहीं हुआ तथा वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनॉक 03.03.2014 को निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है?

2. क्या वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत निर्माण ध्वस्त किये जाने योग्य है?

3. क्या दावा वादी अल्प मूल्यॉकित है?

4. क्या प्रदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है?

5. क्या वाद कारण के अभाव में दावा वादी निरस्त होने योग्य है?

6. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

5. वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 9ग1 से कागज सं0– 10क1 तहसीलदार मऊ को दिये गये प्रार्थनापत्र, कागज संख्या– 11क1 दस्तावेज बैनामा की मूल प्रति, कागज सं0– 12ग1 जोत चकबन्दी आकारपत्र की सत्य प्रतिलिपि, कागज सं0– 13ग1 जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0– 14ग1 जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0– 15ग1 आंशिक भू–चित्र बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0– 16ग1 जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0– 17ग1 उप जिलाधिकारी मऊ को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व सूची 47ग1 से कागज सं0– 48ग1 छायाप्रति विवादित भूमि पर लगाया गेट दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 संतोष कुमार, पी0डब्लू0–2 छेदीलाल एवं पी0डब्लू0–3 सुशील कुमार रस्तोगी के शपथपत्र प्रस्तुत हैं परन्तु साक्षी पी0डब्लू0–2 की प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, केवल पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–3 की प्रतिपरीक्षा हुई है तथा यह कहा गया कि पी0डब्लू0–2 की मृत्यु हो गयी है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनके समर्थन में सूची 42ग2 से कागज

सं0— 43ग2 1/1 लगायत 43ग1/5 नकल आवेदनपत्र की छायाप्रति, कागज सं0— 44ग1 नकल प्रार्थनापत्र सूचनार्थ फोटो कापी, सूची 62ग1/1 से कागज सं0— 62ग1/2 नकल पट्टा की छायाप्रति, 62ग1/3 जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 की छायाप्रति, कागज सं0— 62ग1/4 लगायत 62ग1/5 नकल च0कर्ता/स0च0अ0 की छायाप्रति, 62ग1/6 लगायत 62ग1/10 जन सूचना से प्राप्त प्रमाणित प्रति आदेश, कागज सं0— 62ग1/11 नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति, कागज सं0— 62ग1/12 चकबन्दी नक्शा की प्रमाणित प्रति, सूची 63ग1 से कागज सं0— 63ग1/2 आदेश की प्रमाणित छायाप्रति, कागज सं0— 63ग1/3 ए0 सी0ओ0 आख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0— 63ग1/4 नकल आपत्ति की प्रमाणित छायाप्रति, कागज सं0—63ग1/5 नकल पत्थरगडी की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज सं0— 63ग1/6 जोत चकबंदी आकारपत्र 41 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या— 63ग1/7 जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 की प्रमाणित प्रति, कागज सं0— 63ग1/8 जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 की प्रमाणित प्रति, 63ग1/9 जोत चकबन्दी आकारपत्र 41 की प्रमाणित प्रति, कागज सं0— 63ग1/10 जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 की प्रमाणित प्रति, कागज सं0— 63ग1/11 लगायत 63ग1/10 जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 की प्रमाणित प्रति, कागज सं0— 63ग1/11 लगायत 63ग1/12 सूचना प्रार्थना उपसंचालक चकबन्दी की छायाप्रति, कागज सं0— 63ग1/13 नकल खसरा, कागज सं0— 63ग1/14 नकल खतौनी, कागज सं0— 63ग1/15 नक्शा की छायाप्रति, सूची 66ग1 से कागज सं0— 66ग1/1 लगायत 66ग1/3 पुष्टिकृत नक्शा की प्रमाणितप्रति दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0—1 दस्सू व डी0डब्लू0—2 के रूप में दीपक कुमार को परीक्षित कराया गया है। सी0डब्लू0—1 के रूप में महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, एडवोकेट सर्वे कमिश्नीर को परीक्षित कराया गया है।

7. उभयपक्ष के तर्को को श्रवण करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 एवं आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 के माध्यम से वाद को सव्यय आज्ञप्त किया गया तथा वादी के पक्ष में शाश्वत व्यादेश, निर्माण भंजन व कब्जा दखल का उपचार निर्गत किया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील संस्थित की गयी है।

8. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का अपील में यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपने वादपत्र के पैरा 01 में आराजी सं0— 1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.084 हे0 मौजा बरगढ़ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट

में स्थित होना कहा है। वादपत्र के प्रस्तर 3 में कहा है कि विवादित भूमि नं0–1182क रकबा 0.129 हे0 में वादी की बाउण्ड्री बनी हुई है तथा 1182ख रकवा 0.084 हे0 बाउण्ड्री वाल से बाहर लगी हुई भूमि है। इस प्रकार गाटा सं0–1182 का कुल रकवा 0.219 हे0 होता है जबकि राजस्व अभिलेख खतौनी में गाटा सं0–1182 का कुल रकवा 0.193 हे0 ही है। इस प्रकार वादी के वादपत्र में स्वयं विरोधाभाषी कथन हैं। अपीलार्थी सं0–1 गाटा सं0– 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर मालिक स्वामी व काबिज दखील है जिनपर अपीलार्थीगण की दोनों आराजी पर आबादी बनी हुई है और सड़क से लगी हुई बेशकीमती भूमि है। गाटा सं0– 865/2289 व 1181 आपस में मिले हुए नम्बर है लेकिन दौरान चकबन्दी बन्दोबस्ती नक्शे में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा गाटा सं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 नक्शे में बनाने से छोड़ दिया गया जिसके संबंध में अपीलार्थी ने जिलाधिकारी चित्रकूट के यहॉ नक्शा दुरूस्ती का वाद संस्थित कर रखा है। अपीलार्थीगण का जो भी निर्माण है वह गाटा सं0– 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 पर ही है, वादी/प्रत्युत्तरदाता की भूमि सं0– 1182 के किसी भी भू–भाग पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। मौजा बरगढ़ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट में चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है लेकिन चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा ग्राम बरगढ़ के बन्दोबस्त भू–मानचित्र में 70 प्रतिशत से अधिक त्रुटियॉ व गल्तियॉ करके नक्शा बनाया गया है जिससे ग्राम बरगढ़ में भूमि संबंधी तमाम विवाद है और मौजा बरगढ़ का बन्दोबस्ती नक्शा दुरूस्त हेतु कार्यवाही की जा रही है लेकिन अभी तक बन्दोबस्त नक्शा संशोधित नहीं हो सका है। अपीलार्थीगण की आराजी सं0– 1181 रकवा 0.039 हे0 चकबन्दी पूर्व नक्शे में चौकोर आकृति बनी थी और चकबन्दी बाद बन्दोबस्ती नक्शे में सजरे की आकृति गलत ढंग से त्रिभुजाकार बना दिया गया है जबकि गाटा सं0– 1181 अचक भूमि है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मात्र सर्वेयर की गलत आख्या के आधार पर गाटा सं0– 1182 व 1181 को चिन्हित करके प्रश्नगत विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है क्यों कि जब चकबन्दी के बाद का बन्दोबस्ती नक्शा ही त्रुटिपूर्ण व गलत है तो सर्वेयर द्वारा दिनॉक 20.08.2014 को जो सर्वे आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, वह विश्वसनीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 एवं आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

9. प्रत्युत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत अपील के विरूद्ध आपत्ति 13ग2 प्रस्तुत

करके कथन किया गया है कि विवादित भूमि में वादी/प्रत्युत्तरदाता का स्वामित्व व कब्जा माना गया है जो सही आज्ञप्ति किया गया है एवं अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के 0.058 हे0 से अपीलार्थीगण को बेदखल किया गया है जो कि पूर्णरूपेण सही है। अपील के पैरा 3 में जो रकवा का अंकन दिखाया गया है वह गलत है। रकवा के हिसाब से जो खतौनी में दर्ज है उसी का प्रत्युत्तरदाता मालिक काबिज है। मौजूदा वाद में विवाद आराजी खसरा नं0— 1181 व 1182 का है और आराजी 865/2289 रकवा 0.025 हे0 के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा न तो अपने प्रतिवादपत्र में उल्लिखित किया गया है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि 1181 व 865/2289 आपस में मिले हुए नम्बर है, गलत है। उनके द्वारा ऐसा कोई कथन प्रतिवादपत्र में नहीं किया गया है लिहाजा अपीलार्थीगण का यह कहना कि उसको नक्शे में दुरूस्त करके छोड़ दिया गया है, गलत है।उक्त रकवा जिसको अपीलार्थीगण 865/2289 कह रहे है वह 1182 के बाद जो सड़क पश्चिम में स्थित है, उसके पश्चिम स्थित है, न कि 1181 व 865/2289 आपस में मिले हुए है। अपीलार्थीगण का निर्माण कथित 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0— 865/2289 रकवा 0.025 हे0 में कतई स्थित नहीं है बल्कि प्रत्युत्तरदाता की भूमि पर 1182 नम्बर रकवा 0.058 हे0 पर अतिक्रमण किया गया है और उसी को ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है और उक्त तथ्य सर्वे रिपोर्ट से भी साबित है। सर्वे में भी अपीलार्थीगण को कोई रकवा नहीं पाया गया है जबकि जो भी निर्माण है वह 1182 रकवा 0.058 हे0 पर ही पाया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सर्वेयर आख्या के आधार पर निर्णय पारित किया है जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति यथावत रखे जाने योग्य है।

10. मैने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री उमादत्त पाण्डेय एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के0के0 तिवारी के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अवधारणार्थ बिन्दु

11. प्रस्तुत अपील के अवधारणार्थ प्रमुख बिन्दु यह है कि—

1. क्या विवादित भूमि आराजी नं0— 1182 में स्थित है या 1181 में स्थित है?

2. क्या विवादित भूमि जिसके संबंध में निर्माण भंजन व कब्जा दखल के उपचार की याचना की गयी है, का वादी स्वामी है?

3. क्या प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर निर्माण किया गया है?

4. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 को पारित करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है?

निष्कर्ष

निस्तारण बिन्दु सं0– 1, 2, 3 व 4

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री उमादत्त पाण्डेय का यह तर्क है कि वादी के वादपत्र के अनुसार आराजी सं0– 1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.084 हे0 मौजा बरगढ़ तहसील मऊ में स्थित है। विवादित भूमि नं0– 1182क रकवा 0.129 हे0 में वादी की बाउण्ड्री बनी हुई है तथा 1182ख रकवा 0.084 हे0 बाउण्ड्री वाल से बाहर लगी हुई भूमि है एवं गाटा सं0– 1182 कुल रकवा 0.219 हे0 है जबकि खतौनी में गाटा सं0– 1182 का कुल रकवा 0.193 हे0 ही है। इस प्रकार वादी के स्वत्व के संबंध में विरोधाभाषी कथन हैं। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी गाटा सं0– 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर मालिक स्वामी है तथा दोनों आराजी पर उनकी आबादी बनी हुई है। गाटा सं0– 865/2289 व 1181 आपस में मिले हुए नम्बर है चकबन्दी के दौरान बन्दोबस्ती नक्शे में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा गाटासं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 नक्शे में बनाने से छोड़ दिया गया है। अपीलार्थीगण की आराजी सं0– 1181 रकवा 0.039 हे0 चकबन्दी पूर्व नक्शे में चौकोर आकृति बनी थी और चकबन्दी बाद बन्दोबस्ती नक्शे में सजरे की आकृति गलत ढंग से त्रिभुजाकार बना दिया गया। इस प्रकार जो निर्णय की बात कही गयी है वह 1182 में प्रदर्शित हो रही है। मौजा बरगढ़ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट में चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है लेकिन चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा ग्राम बरगढ़ के बन्दोबस्त भू–मानचित्र में 70 प्रतिशत से अधिक त्रुटियॉ करके नक्शा बनाया गया है जिससे ग्राम बरगढ़ में भूमि संबंधी तमाम विवाद हैं। नक्शा दुरूस्ती का आवेदनपत्र जिलाधिकारी के यहॉ प्रस्तुत कर दिया गया है। वादी द्वारा जो निर्माण अवैध रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित किया गया है वह वादी की भूमि पर न होकर स्वयं प्रतिवादी की भूमि सं0– 1181 पर स्थित है।

13. जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के0के0 तिवारी का तर्क है कि मौजूदा वाद में विवाद 1181 व 1182 का है न कि 865/2289 रकवा 0.025 हे0 का। अपीलार्थीगण का यह कथन कि 1181 व 865/2289 आपस में मिले हुए

नम्बर है जो गलत है और न अपने प्रतिवादपत्र में ऐसा कोई कथन किया है तथा इस आधार पर कि उसको नक्शे में दुरूस्त न करके छोड़ दिया गया है, गलत उल्लिखित है। उक्त रकवा जिसको अपीलार्थीगण 865/2289 कह रहे है वह 1182 के बाद जो सड़क पश्चिम स्थित है, उसके पश्चिम स्थित है न कि 1181 व 865/2289 आपस में मिले हुए है। अपीलार्थीगण का निर्माण कथित 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0– 865/2289 रकवा 0.025 हे0 में कतई स्थित नहीं है बल्कि प्रत्युत्तरदाता की भूमि 1182 नम्बर रकवा 0.058 हे0 पर अतिक्रमण किया गया है और उसी को ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है तथा उक्त तथ्य सर्वे रिपोर्ट से भी साबित है।

14. यह तथ्य स्वीकारोक्ति के आधार पर स्थापित है कि वादी ने विवादित भूमि का पंजीकृत बैनामा करामत खॉ व हसमत खॉ से लिया है और क्रय करने के बाद मौके पर काबिज दखील हो गया। विवादित भूमि बाद चकबन्दी आकारपत्र 45 खाता सं0– 859 में वादी के नाम दर्ज कागजात है और वादी विवादित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर मौके पर काबिज दखील है। प्रतिवादी ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि वादी की बाउण्ड्री 1182 नम्बर में स्थित है। इस प्रकार यह तथ्य स्वीकारोक्ति के आधार पर साबित हो गया है कि वादी आराजी नं0– 1182 का स्वामी, काबिज दखील है।

15. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 (नई धारा 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023)** के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से विहित है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार याउनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिनके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य कागज सं0– 13ग के परिशीलन से स्पष्ट है कि नई गाटा संख्या–1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.064 हे0 कुल 0.193 हे0 पर संतोष कुमार पुत्र रघुनाथ सहॉय का नाम अंकित है। वादी/प्रत्यर्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान कागज संख्या– 15ग नक्शा की ओर आकृष्ट कराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नक्शे में 1182 व 1181 नम्बर को रास्ते के पूरब तरफ प्रदर्शित किया गया है जबकि 865 नम्बर जिसे सड़क के पश्चिम तरफ प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी

ने अपने प्रतिवादपत्र में आराजी नं0— 865 के संबंध में कोई कथन नहीं किया है जबकि अपील में इस बिन्दु को उठाया गया है और यह कहा गया है कि गाटा संख्या 1181 रकवा 0.039 हे0 व गाटा सं0— 865/2289 रकवा 0.025 हे0 पर उनकी आबादी बनी हुई है तथा उनके निर्माण हैं। गाटा सं0— 865/2289 व 1181 आपस में मिले हुए नम्बर हैं लेकिन दौरान चकबन्दी बन्दोबस्ती नक्शे में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा गाटा सं0— 865/2289 रकवा 0.025 हे0 नक्शे में बनाने से छोड़ दिया है। विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार नक्शा के दुरूस्ती के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष वाद लम्बित है। कागज संख्या— 15ग1 से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि 865 नम्बर निःसंदेह रूप से सड़क के पश्चिम तरफ है और 1182 व 1181 के शामिल होने का जो कथन किया गया है वह वैधानिक रूप से औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

17. जहॉ तक आराजी नं0— 865/2289 का संबंध है, प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र में आराजी नं0— 865/2289 रकवा 0.025 हे0 का कोई उल्लेख अपने प्रतिवादपत्र कागज संख्या— 26क में नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **ए0एन0रेड्डी बनाम वेंकटरामा रेड्डी ए0आई0आर0 2014 सुप्रीम कोर्ट 1290** के मामले में यह निर्णय विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि ''पक्षकारों को समुचित अभिवचन करना चाहिए, साक्ष्य देकर यह स्थापित करना चाहिए कि अनियमितता/अवैधानिकता से चुनाव तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है। यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि वह अनुतोष नहीं प्रदान किया जा सकता जो अभिवचन पर आधारित नहीं है।''

18. यह सुस्थापित विधि है कि पक्षकार अपने अभिवचन से परे नहीं जा सकते हैं। निःसंदेह प्रस्तुत मामले में आराजी नं0— 865 के संबंध में प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र 26क में कोई भी अभिवचन नहीं लिया है, ऐसी दशा में आराजी नं0— 865 के संबंध में कोई भी तर्क वैधानिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादी ने अपने वादपत्र के प्रस्तर 03 में आराजी नं0—1182क का रकवा 0.129 हे0 व 1182ख का रकवा 0.084हे0 उल्लिखित किया है। इस हिसाब से 1182 का सम्पूर्ण रकवा 0.193 हे0 हो जाता है। इस प्रकार वादी के कथन स्वयं आपस में विरोधाभाषी है। वादी ने वादपत्र के प्रस्तर 01 में आराजी नं0— 1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.064 हे0 का उल्लेख किया है तथा अनुतोष खण्ड में आराजी नं0— 1182 का रकवा 0.193 हे0 अंकित किया है। इसी रकवा का उल्लेख अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य कागज संख्या— 13ग चकबन्दी जोत आकारपत्र 45 में भी पाया

जाता है, ऐसी दशा में आराजी नं0— 1182 का पूरा रकवा 0.193 हे0 ही माना जायेगा जैसा कि अनुतोष खण्ड व वादपत्र में अंकित है। यदि प्रस्तर 03 में टाइपिंग त्रुटि के वजह से कुल रकवा 0.219 हे0 अंकित हो गया है तो इसका कोई लाभ अपीलार्थी/प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हो सकता। इस तथ्य का उल्लेख करना समीचीन है कि आराजी सं0— 1182 के संबंध में प्रतिवादी का कोई दावा भी नहीं है।

20. साक्षी पी0डब्लू0—1 ने अपने शपथपत्र में यह कहा है कि आराजी खसरा नं0— 1182क रकवा 0.129 हे0 व 1182ख रकवा 0.064 हे0 कुल दो किता मौजा बरगढ़ तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट का पंजीकृत बैनामा करामत खॉ व हसमत खॉ से लिया है। यह भी कहा है कि मौजा बरगढ़ चकबन्दीशुदा है और चकबन्दी में आकारपत्र 45 बना है और उसके खाता संख्या— 859 में उक्त नम्बरान उसके नाम दर्ज है। आगे इस साक्षी ने कहा है कि खरीदी गयी भूमि में उसकी बाउण्ड्री बनी हुई है तथा 1182ख जो 1182क में बाउण्ड्री बनी है उससे लगा हुआ मकान कुछ भाग में स्थित है। यह भी इस साक्षी ने कहा है कि विवादित भूमि के पश्चिम लगा हुआ 1181 नम्बर है जिसमें प्रतिवादी का मकान बना था जो बरसात में गिर गया था ओर प्रतिवादीगण से अच्छे तालमेल होने व उनके कहने पर वादी ने पश्चिमी जुज भाग जानवर बॉधने के लिए बरसात के महीने में दिया था और घास फूस की झोपड़ी बनाकर निस्तार करने लगे और यह बात बरसात के महीने की है और बरसात समाप्त होने पर वादी ने माह नवम्बर 2013 में विवादित भूमि को प्रतिवादीगण से खाली करने को कहा तो उन्होने विवादित भूमि को खाली करने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि सर्वे उभयपक्ष की उपस्थिति में हुआ है। सर्वे से विवादित निर्माण 1182 के जुज पश्चिमी भाग पर पाया गया है और प्रतिवादीगण द्वारा 6 x 23 फुट पर दो कमरा पश्चिमी एवं दक्षिणी मेड से बनाया गया है तथा दूसरा कमरा उसी से लगा 16 फीट बनाया गया है और दस्सू द्वारा नींव भराई गयी है और उक्त निर्माण व नींव 1182 पर सर्वे में पाया गया है। न्यायालय द्वारा सर्वे आख्या व नक्शा दिनॉक 05.09.2018 को पुष्ट किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि नक्शा दुरूस्ती का एक मुकदमा इसी जमीन का जिलाधिकारी के यहॉ चल रहा है। साक्षी पी0डब्लू0—2 छेदीलाल ने अपने शपथपत्र 40क के माध्यम से वादी के कथन का समर्थन किया है परन्तु इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, अतः उसका साक्ष्य नहीं पढ़ाजायेगा। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0—3 सुशील कुमार रस्तोगी ने भी वादी के कथन का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि खरीदी गयी जमीन का नया नम्बर 1182क

व ख है। यह दोनों नम्बर अलग अलग हैं। 1182क की चौहद्दी में पूरब संतोष कुमार का खेत है, पश्चिम में संतोष कुमार का खेत है, उत्तर में राम का खेत है तथा दक्षिण में शंकर आदि का खेत है।

21. साक्षी डी0डब्लू0–1 ने अपने शपथपत्र 62क में कहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी नं0– 1182 के किसी भी अंश रकवे में किसी भी तरह का निर्माण कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादीगण आराजी नं0– 1181 के भूमिधर मालिक स्वामी काबिज दखील है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वादी का कौन सा नम्बर है, नहीं बता सकता। कितना रकवा है, यह भी नहीं बता सकता। 1181 नम्बर का उसके पास कोई अभिलेख है या नहीं उसे नहीं मालूम। 1181 नम्बर के पूरब संतोष की जमीन है, पश्चिम में सड़क है, उत्तर में बैंक है, दक्षिण संकटा पटेल का मकान है। प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है सर्वे कमिश्नर गये थे, जमीन का सर्वे हुआ है और मौके पर सर्वे की कार्यवाही हुई थी। 1181 नम्बर तिकोना है। दक्षिण की तरफ 1181 का कोई रकवा नहीं है। इसी प्रकार साक्षी डी0डब्लू0–2 दीपक कुमार ने अपने शपथपत्र 63क में वादीगण का नम्बर 1182 व प्रतिवादी का नम्बर 1181 बताया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि 1181 नम्बर दस्सू का है, उसके पश्चिम सड़क है। 1181 दस्सू की जमीन है, उसके पीछे संतोष की जमीन है।

22. प्रस्तुत मामले में सर्वे आख्या कागज संख्या– 31ग/1 लगायत 31ग/6 प्रस्तुत किया गया है। सर्वे आयुक्त ने आराजी नं0– 1182 नम्बर में निर्माण का उल्लेख किया गया है तथा उससे सटे आराजी नं0– 1181 नम्बर को त्रिभुजाकार प्रदर्शित किया है। आराजी नं0– 1181 की जो आकृति नकल नक्शा में दर्शायी गयी है वही आकृति सर्वे के नक्शा कागज संख्या 31ग/6 में दर्शित पायी जाती है। आराजी नं0– 1182 के पश्चिम तरफ रास्ता है, वह किसी भी तरह से आराजी नं0– 1181 व 1182 से संबंधित नहीं है। सर्वे आख्या दिनॉक 05.09.2018 को पुष्ट कर दी गयी है। प्रतिवादी/अपीलार्थी की तरफ से ऐसी कोई त्रुटि सर्वे रिपोर्ट व नक्शे में प्रदर्शित नहीं की गयी है जिससे यह कहा जा सके कि सर्वे रिपोर्ट व नक्शा त्रुटिपूर्ण है। सर्वे आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतया समर्थित व पुष्ट होती है।

23. इस प्रकार मौखिक साक्ष्य से भी यह तथ्य साबित है कि आराजी नं0– 1182 के मालिक वादी (यहॉ प्रत्यर्थी) है और प्रतिवादी का 1182 से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सर्वे आख्या आदि से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त निर्माण जैसा कि वादपत्र में उल्लिखित है, आराजी नं0– 1181 में न होकर 1182 पर है जिसके वादी मालिक स्वामी है। अतः उपरोक्त

विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वादी आराजी नं0— 1182 का स्वामी है तथा वादग्रस्त निर्माण 1182 पर स्थित है, ऐसी स्थिति में वादी आराजी नं0— 1182 व उसपर स्थित निर्माण के संबंध में वॉछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। जहॉ तक आराजी सं0— 1181 का संबंध है, आराजी नं0— 1181 प्रतिवादीगण की भूमि है इसलिए उक्त भूमि के संबंध में वादी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0— 1 लगायत 4 निस्तारित किये जाते हैं।

24. उपरोक्त संप्रेक्षण के उपरान्त इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 को पारित करने में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 23.11.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है एवं प्रस्तुत व्यवहार अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत **व्यवहार अपील सं0—32/2024 दस्सू (मृतक) व अन्य प्रति संतोष कुमार** एतदद्वारा खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 12.11.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 23. 11.2024 की पुष्टि की जाती है। उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब वापस भेजा जाये।

(शेष मणि)
दिनॉक—21.07.2026 **जनपद न्यायाधीश,**
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी05751

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(शेष मणि)
दिनॉक—21.07.2026 **जनपद न्यायाधीश,**
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी05751